


17/2/16

वकील प्रार्थी स्वयं प्रार्थी स्वयं अडपरिस्थित। अ. प्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। उन्हें 4.30 बजे अदालत उठते तक आवेजे दिलाई गई परन्तु उनकी ओर से कोई अदालत उपस्थित नहीं आया। अतः प्रकरण अदम्य पेशी अदम्य एजिरी में रवारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम कम है। बाद तकमील दफ्तर दारिखत है।


अधिकारी
(अजमेर)

